(1) प्रकरण संख्या 18/2019 प्रेमशंकर बनाम श्रीमती तेजशंकर व अन्य
(2) प्रकरण संख्या 19/2019 प्रेमशंकर बनाम श्रीमती तेजशंकर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीण्डर में आराजी नंबर 2444 शा.न. 2446/1 किता 1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थिति होकर वर्तमान में वादीगण के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल के नाम 1/3 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित है। खातेदार हीरालाल व छगनलाल का निधन हो चुका है, जिसके वारिस कमशः प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व 2/1 से 2/3 हैं। अतः विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग अंकन कराया जावे। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 12.05.2018 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03.12.2018 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 12.05.2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 18/2019 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 03.12.2018 के विरूद्ध अपील संख्या 19/2019 इस न्यायालय में दिनांक 09.05.2019 को प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलों में धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण ने जानबूझकर अपीलान्ट/प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि प्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:18 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि आपसी भाई–बंटवारे से उसे प्राप्त हुई है, जिसका उसका पूर्वजों के समय से पिछले 80 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, मात्र राजस्व रेकार्ड में अंकन रह गया। प्रार्थी/अपीलान्ट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जारी हो चुकी है। अपीलान्टगण एडवर्स पजेशन के आधार पर अपने आपको खातेदार मानते हुए आवश्यक पक्षकार बनाते हैं, जबकि काश्तकारी कानून में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/प्रार्थी विवादित भूमि पर अपना 80 वर्षो का कब्जा बताकर विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार होना बताते हैं तथा इस आधार पर अपने आपको आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार बताते हैं, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। वाद विभाजन बाबत् है, जो सहखातेदारों के मध्य प्रस्तुत होकर विभाजन की प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री जारी हो चुकी है, जिसमें हम अपीलान्ट/प्रार्थी को किसी प्रकार से आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं पाते हैं। तद्नुसार दोनों अपीलें मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य हैं।

अतः अपीलान्ट आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से दोनों अपीलें इसी आधार पर खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2018 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.05.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.12.2018 यथावत रखी जाती हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:18 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:18 IST
Reason: SelfAttested